अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए कोई निश्चित नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर दिनांक 16.06.117 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को ध्यान में रखते हुए उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी उनके कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण कर कोई सूचना प्राप्त करना चाहे तो उसे नियमानुसार उपलब्ध अभिलेख का निरीक्षण करवा दिया जावे और उपलब्ध अभिलेख में से अपीलार्थी जो सूचना प्राप्त करना चाहे वह उसे नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी, उपजिला निर्वाचन अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 58 ए/2017 अनवानी राधेश्याम गोयल पुत्र स्व0 श्री राधेश्याम गोयल निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्र0), श्रीगंगानगर

11–10–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.07.17 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:–

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दिनांक 26.04.2017 के सांय 5 बजे धनराज मीणा सहायक, नगर परिषद प्रतिनियुक्ति चुनाव की रिपोर्ट के अनुसार की चुनाव शाखा प्रभारी के मौखिक निर्देशानुसार प्रार्थी राधेश्याम के घर के सहज दृश्य स्थान पर नोटिस चिपकाये है।

1. चुनाव शाखा के प्रभारी का नाम व पद की सूचना।

2. जिस नियम व अधिनियम के अन्तर्गत व जिस उच्चाधिकारी के आदेश की पालना में प्रार्थी के मकान पर नोटिस चिपकाये गये है उसकी सूचना नियम व अधिनियम की व उच्चाधिकारियों के आदेश की प्रमाणित प्रति नोटिस चिपकाने बाबत।
3. चुनाव शाखा में कार्यरत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारी की नियुक्ति चुनाव कार्यालय के अधीन मानी जाती है इस बाबत सूचना व प्रतिनियुक्ति के नियम जो विभाग में है उसकी सूचना।

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 21.07.17 के द्वारा चाही गई सूचना उनके द्वारा जानबूझकर उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाए जाने का आदेश प्रदान किया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) (2) के तहत 25000रूपये हर्जाना कायम किया जावे व उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर उपजिला निर्वाचन अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा अपने प्रतिवेदन संख्या 4291 दिनांक 18.09.17 के साथ प्रस्तुत पत्र सं0 3646 दिनांक 16.08.17 अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में उसे निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

आप द्वारा चाही गई उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना के संबध में

आपको अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की श्रेणी में आती है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च मे सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकडो संबधी सामग्री शामिल है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एंव ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पंहुच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखो में उपलब्ध हो।

अतः आपको सूचित किया जाता है कि आप कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकते है। यदि आप इस सूचना से असंतुष्ट है तो प्रथम अपीलीय अधिकारी श्रीमान जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष 30 दिवस